

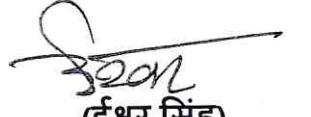
संख्या डीजीटी-ई-11012/1/2020-हिंदी

भारत सरकार
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

दिनांक: 08 जुलाई, 2024

आदेश

इस महानिदेशालय में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के तहत तथा राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं.20016/1/92-रा.भा. (क.-1), दिनांक 09.08.1992 के अनुरूप अपना समस्त कार्य हिंदी में करें।


(ईश्वर सिंह)
उप महानिदेशक

श्री/सुश्री:-
पदनाम:-
प्रशिक्षण महानिदेशालय
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय,
नई दिल्ली